

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- अनु.-प्रथम/बी/2020/४४

दिनांक : 18.05.2020


कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों दिनांक 12.03.2020 द्वारा मृतक राज्य सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करने हेतु लिखा गया था।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.03.2020 से घोषित लॉकडाउन के कारण आश्रितों द्वारा कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद द्वारा अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

इस कार्यालय के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के विभिन्न आदेशों दिनांक 12.03.2020 की निरन्तरता में कार्यग्रहण अवधि दिनांक 15.06.2020 तक बढ़ाई जाती है।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।



(सुनील कुमार गुप्ता)


मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा0नि0वि0, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प. 72(2)/अनुभाग-प्रथम/बी/2020/डी-510

दिनांक 18.05.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., सम्भाग-समस्त।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत्त-समस्त।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड समस्त।
4. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड समस्त।
5. श्रीपुत्र..... स्थाई पता-.....
.....।
6. निजी सचिव.मु.अ./व्यक्तिगत/रक्षित पत्रावली।



(अक्षय कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर